—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 46/2023

उनवान

1. पोखर पुत्र चन्दा जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कमला पुत्री चन्दा
2. सुप्यार पत्नी टीकम जाति जाट नि. देराठू, नसीराबाद,
3. मैनेजर स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नसीराबाद,
4. उप पंजीयक, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 2 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
4 व 5 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 24.12.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 824 रकबा 0.07 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की भूमि है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 द्वारा प्रार्थीगण के कबजे काश्त में दखलदांजी की जा रही है तथा भूमि को अन्यत्र बैचान हस्तांतरण कर हडपने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। प्रार्थी ने प्रकरण विचारण के दौरान आराजी मुतनाजा के विभाजन के साथ राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती का अनुतोष चाहने बाबत संशोधन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा क्रय की गयी है, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से के बीच में चारदीवारी बनी है। प्रार्थी व जवाबकर्ता की भूमि के रास्ते हाईवे से है। उभख्यक्ष अपने—अपने हिस्से पर काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

राज. पैरोकर ने जवाब नही पेश करना जहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 824 रकबा 0.07 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की भूमि है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से की आराजी का

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बैचान नही किया जा सकता है। किन्तु अविभाजित आराजी पर प्रत्येंक सह खातेदार का बराबर–बराबर अधिकार होता है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने व भूमि के विशिष्ठ भू भाग का बैचान करने का को कोई विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को मौके पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने व भूमि के विशिष्ठ भू भाग का बैचान नही करने से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। राजस्व मानचित्र दुरूस्ती के तथ्य व शेष तथ्य मूल वाद में निर्णित होगे। प्रकरण के खण्डन के कोई तथ्य पत्रावली पर नही है अतः प्रार्थी के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अविभाजित है। अविभाजित आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल व्यवधान करने से मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 824 रकबा 0.07 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विशिष्ठ भू–भाग का बैचान नही करें पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद